भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 574

(03 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

"शिरडी में सड़कों का विकास"

574. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिरडी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र (अहमदनगर जिला) में रंजनगांव देशमुख उपकेंद्र तलेगांव रोड से होकर गुजरने वाली सड़क ऐतिहासिक येओला मार्ग का हिस्सा रही है और अभी भी 11 गांवों को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है;

(ख) क्या कोपरगांव-संगमनेर सड़क के विकास के बाद इस मार्ग की उपेक्षा की गई है जिसके कारण सड़क बहुत जर्जर हो गई है और लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं;

(ग) क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि शिरडी जाने वाले तीर्थयात्रियों और भारी वाहनों की बड़ी संख्या इस मार्ग पर चलती है, जिससे सड़क पर दबाव और क्षति बढ़ गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या मंत्रालय क्षेत्रीय संपर्क, सुरक्षा और आर्थिक कार्यकलापों को मजबूत करने के लिए इस सड़क को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) में शामिल करके इसके सुधार और पुनर्निर्माण के लिए तत्काल कार्रवाई करेगा तथा इसके विकास और रखरखाव के लिए निधि आवंटित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त सड़कों के शीघ्र विकास और धार्मिक-पर्यटन की दृष्टि से लाभ सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में आगे की योजना क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कामलेश पासवान)

(क) से (ङ) महाराष्ट्र राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, शिरडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र (अहमदनगर जिला) में रंजनगांव देशमुख उप-केंद्र तालेगांव रोड से गुजरने वाली सड़क गैर-योजनाबद्ध सड़क है और इसलिए , इसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के मुख्य नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है। इस सड़क के किनारे स्थित गांव (बसावट) पहले से ही संगमनेर से कोपरगांव (रंजनगांव देशमुख रोड के माध्यम से) बारहमासी सड़क से जुड़े हुए हैं। इसलिए, पीएमजीएसवाई-I V के दिशानिर्देशों के अनुसार, यह सड़क योजना के तहत शामिल होने के लिए पात्र नहीं है।

ग्रामीण सड़कें राज्य का विषय है। कार्यक्रम के तहत निर्मित सड़कों का रखरखाव राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और सभी सड़क कार्यों को मानक बोली दस्तावेज के अनुसार , निर्माण अनुबंध के साथ-साथ उसी ठेकेदार के साथ किए जाने वाले प्रारंभिक पांच वर्षीय रखरखाव अनुबंधों के अंतर्गत कवर किया जाता है। रखरखाव निधि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। 5 वर्ष से अधिक की सड़कों का रखरखाव भी राज्य सरकार द्वारा किया जाना है।
